राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक एफ.3(1)(9)I/Elec/2018 दिनांक मार्च, 2019

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 की पालना में आदर्श आचार संहिता (MCC) प्रभाव में रहने की अवधि में विभिन्न विभागों द्वारा आदर्श आचार संहिता के संबंध में स्पष्टीकरण/शिथिलता संबंधी प्रकरण सीधे ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी अथवा भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित नहीं किये जावेंगे। आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में निम्नानुसार स्किनिंग समिति का गठन किया जाता है –

1. मुख्य सचिव — अध्यक्ष
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (संबंधित विभाग जिनका प्रस्ताव है) — सदस्य
3. शासन सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) — सदस्य

आयोग के निर्देशानुसार किसी भी विभाग से आदर्श आचार संहिता संबंधी प्रकरण प्राप्त होने पर उसका परीक्षण सर्वप्रथम आयोग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अन्तर्गत (ECI Portal) पर उपलब्ध Compendion/Instruction के अनुसार) उक्त स्किनिंग समिति द्वारा किया जावेगा तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से ही प्रस्ताव आयोग को प्रेषित किए जावेगें। समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि अपनी मूल पत्रावली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रेषित नहीं करें। संदर्भित किये जाने वाले प्रकरण स्वतः स्पष्ट टिप्पणी (Self-Contained Note) के साथ प्रेषित किये जावेगें।

प्रशासनिक विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि यदि किसी प्रकरण के निस्तारण के समय सीमा निर्धारित है तो ऐसी स्थिति में प्रकरण कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रेषित किया जावें।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(आनन्द कुमार)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ.3(1)(9)I/Elec/2018 2266 दिनांक 19-3-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
5. समस्त अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निगम/बोर्ड/पब्लिक सेक्टर उपक्रम।
6. श्री सुमित मुखर्जी, प्रमुख सचिव, भारत निर्वाचन आयोग को सूचनार्थ।
7. समस्त अधिकारी निर्वाचन विभाग, राजस्थान।

अति0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

VC2019

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक एफ. 3(1)(7)I / निर्वा. / 2019 / 2265 दिनांक 12-3-19

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव–2019 की घोषणा के पश्चात् आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही शासन के कार्यो को अतिरिक्त संवेदनशीलता से किया जाना वांछनीय है। शासन द्वारा जारी किसी भी आदेश की विषयवस्तु, प्रभावी किए जाने की तिथियों आदि में कोई भी संशय आदर्श आचार संहिता की गरिमा एवं शासन की विश्वसनीयता पर अनावश्यक प्रतिकूल ध्यान आकर्षित करता है।

1. अतः यह स्पष्टतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त स्थानांतरण / पदस्थापन / नियुक्तियॉं / पदोन्नतियॉं / नवीन कार्य आदि आदर्श आचार संहिता की सम्पूर्ण निरपेक्ष अनुपालना की परिधि में ही संचालित किए जाएं, जिससे कि पूर्व तिथि में (बैकडेट में) उक्त कार्यो के संपादन किए जाने जैसे आक्षेपों से बचा जाए। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता की पालनार्थ सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को प्रेषित पत्रांक 464 / INST/2007-PLN-1 दिनांक 07.01.2007 में स्थानांतरण एवं पदस्थापन संबंधी दिशा–निर्देशों में बिन्दु सं. (VI) पर अंकित निर्देशों के अनुसरण में विशेषतः हाल ही में जारी स्थानांतरण आदेशों बाबत् निर्देशित किया जाता है कि इनके अधीन कार्यमुक्ति / कार्यग्रहण से शेष कोई कर्मचारी / अधिकारी अब बिना चुनाव आयोग की अनुमति के कार्यमुक्त अथवा कार्यग्रहण नहीं हों / करें।
2. आयोग के निर्देशानुसार स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया है। (प्रति संलग्न) समस्त विभाग आदर्श आचार संहिता संबंधी प्रकरणों में स्पष्टीकरण / शिथिलता हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सीधे ही प्रेषित नहीं कर, प्रशासनिक विभाग स्वतः स्पष्ट टिप्पणी **(Self-Contained Note)** के साथ स्किनिंग समिति (नोडल अधिकारी–शासन सचिव, सामान्य प्रशासन) के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(डी.बी.गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / आयुक्त / विशिष्ट शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली ।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर